

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
साचीज,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक : 21 अप्रैल, 2020

विषय: निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत विषय पर आपके द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2020 शासन को अभिमत प्रेषित किया गया था।

2- अवगत कराना है कि कोविड केयर फण्ड (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 (प्रति संलग्न) में कतिपय संशोधन किए गए हैं। कृपया उक्त संशोधनों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत प्रकरण पर पुनरीक्षित अभिमत अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

  
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)  
विशेष सचिव।

  
21.4.2020